सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873

(1873 का अधिनियम संख्यांक 5)[1]

[28 जनवरी, 1873]

सरकारी बचत बैंकों से सम्बद्ध विधि को संशोधित करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—सरकारी बचत बैंकों में जमा राशियों के संदाय से संबद्ध विधि में संशोधन करना समीचीन है;

अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 है ।

स्थानीय विस्तार—इसका विस्तार [2][[3]*** सम्पूर्ण भारत] पर है ।

[4]* * * * * * *

[5][**2. अधिनियम का अंचल बचत बैंक में की जमा राशियों को लागू न होना**—यह अधिनियम ट्रावनकोर कोचीन राज्य के अंचल बचत बैंक में जमा की गई राशियों को लागू नहीं होगा, और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का 3) के प्रारम्भ होने के ठीक पहले उक्त राज्य में ऐसी जमा राशियों से सम्बद्ध कोई प्रवृत्त विधि उनको वैसे ही लागू रहेगी मानो वह विधि निरसित नहीं की गई थी ।]

निर्वचन खण्ड—इस अधिनियम में,—

"जमाकर्ता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा, या जिसकी ओर से सरकारी बचत बैंक में इससे पूर्व या इसके पश्चात् धन जमा किया गया हो या किया जाएगा, और "जमाराशि" से इस प्रकार जमा किया गया धन अभिप्रेत है :

[6][परन्तु उस तारीख को और उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, इस खंड के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो "किसी व्यक्ति" शब्द के स्थान पर "कोई व्यष्टि" शब्द रखा गया था ;]

[7][(ख) "सरकारी बचत बैंक" से,—

(i) कोई डाकघर बचत बैंक; या

(ii) कोई बैंककारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी या संस्था, जिसे केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

अभिप्रेत है;

(खख) "सचिव" से,—

(i) किसी डाकघर बचत बैंक की दशा में, उस क्षेत्र के लिए, जिसमें डाकघर बचत बैंक स्थित है, नियुक्त महा डाकपाल या सरकार का ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; और

---

[1] अधिनियम का विस्तार गोवा, दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र पर अधिसूचना सं० का० आ० 2734, तारीख 1 सितम्बर, 1962 द्वारा किया गया, देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii), पृ० 1991, दादरा और नगर हवेली पर 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) और लक्षद्वीप के संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र पर 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 2 और अनुसूची 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) विस्तारित और लागू किया गया ।
अधिनियम पांडिचेरी में 1-10-1963 से 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा प्रवृत्त हुआ ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के सभी प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित, जो विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था ।

[3] "जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर" शब्दों का, जिन्हें 1951 के अधिनियम सं० 3 द्वारा "भाग ख राज्यों को छोड़कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।

[4] 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा प्रारम्भ के खण्ड का निरसन किया गया ।

[5] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अन्त:स्थापित । 1873 के अधिनियम सं० 12 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा मूल धारा 2 का निरसन किया गया ।

[6] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 113 द्वारा अंत:स्थापित ।

[7] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 116 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ii) किसी बैंककारी कंपनी या अन्य कंपनी या संस्था की दशा में, यथास्थिति, उस बैंककारी कंपनी या अन्य कंपनी या संस्था का कोई अधिकारी, या सरकार का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

अभिप्रेत है;]

[1]["अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के अधीन वयस्कता प्राप्त किया हुआ नहीं समझा जाता है;]

[2]["विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।]

मृत व्यक्तियों की संपदा से सम्बद्ध जमाराशियां

[3][**4. जमाकर्ता द्वारा नामनिर्देशन**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में, या किसी जमाकर्ता द्वारा, अपनी जमाराशि के बारे में किए गए वसीयती या अन्य प्रकार के किसी व्ययन में किसी बात के होते हुए भी, जहां विहित रीति से किए गए किसी नामनिर्देशन से किसी व्यक्ति को जमाकर्ता की मृत्यु पर जमाराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना तात्पर्यित है, वहां नामनिर्देशिती जमाकर्ता की मृत्यु पर, सब अन्य व्यक्तियों का अपवर्जन करके, जमाराशि पाने का हकदार होगा जब तक कि नामनिर्देशन में विहित रीति से फेरफार न की गई हो या उसको रद्द न किया गया हो ।

(2) यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु जमाकर्ता से पहले हो जाती है, या जहां दो या दो से अधिक नामनिर्देशिती हैं, वहां सब नामनिर्देशितियों की मृत्यु जमाकर्ता से पहले हो जाती है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा ।

(3) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां जमाकर्ता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी व्यक्ति को नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में जमाराशि प्राप्त करने के लिए विहित रीति से नियुक्त करे ।

4क. जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर संदाय—(1) यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और जमाकर्ता की मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के पक्ष में नामनिर्देशन प्रवृत्त है, तो जमा राशि का संदाय नामनिर्देशिती को किया जाएगा ।

(2) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां जमाराशि का संदाय,—

(क) ऐसी दशा में जहां कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन उसको प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया है, वहां उस व्यक्ति को; और

(ख) जहां कोई ऐसा व्यक्ति न हो, वहां अवयस्क के उपयोग के लिए अवयस्क के संरक्षक को,

किया जाएगा ।

(3) जहां जमाराशि दो या दो से अधिक नामनिर्देशितियों को देय है और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, वहां उस जमाराशि का संदाय उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को किया जाएगा ।

(4) यदि किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन प्रवृत्त नहीं है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन अनुदत्त उसकी विल का प्रोबेट या उसकी संपदा का प्रशासन-पत्र या उत्तराधिकार-प्रमाणपत्र जमाकर्ता की मृत्यु होने के तीन मास के भीतर उस सरकारी बचत बैंक के सचिव को जिस बैंक में जमाराशि है, प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है तो—

(क) यदि जमाराशि [4][ऐसी सीमा से, जो विहित की जाए] अधिक की नहीं है तो सचिव उसका ऐसे किसी भी व्यक्ति को संदाय कर सकेगा जो उसको जमाराशि प्राप्त करने के लिए या मृतक की संपदा का प्रशासन करने के लिए हकदार प्रतीत हो; और

(ख) [5][खंड (क) के अधीन विहित सीमा के] भीतर, सरकारी बचत बैंक के प्रबंध में नियोजित कोई ऐसा अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, उस परिमाण तक जिस तक कि वह ऐसे आदेश द्वारा सशक्त किया गया है और इस निमित्त सचिव के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जमाराशि का संदाय कर सकेगा जो उसको जमाराशि प्राप्त करने के लिए या संपदा का प्रशासन करने के लिए हकदार प्रतीत हो ।

(5) इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह ऐसी जमाराशि का जो सावधि-जमा है उसके शोध्य होने के पूर्व संदाय प्रतिगृहीत करे ।]

---

[1] 1916 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा मूल परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1959 के अधिनियम सं० 45 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1959 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा पूर्ववर्ती धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1985 के अधिनियम सं० 56 की धारा 2 "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1985 के अधिनियम सं० 56 की धारा 2 कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5. संदाय उन्मोचन होगा—[1][इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्ध के अनुसार किया गया कोई संदाय] इस प्रकार संदत्त धन के बारे में आगे और सभी प्रकार के दायित्व का पूर्ण उन्मोचन होगा ।]

निष्पादक के अधिकार की व्यावृत्ति—किन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, मृतक के किसी निष्पादक या प्रशासक, या अन्य प्रतिनिधि को, उस रकम को पाने वाले व्यक्ति से वह रकम वसूल करने से प्रवारित नहीं करेगी जो प्रशासन के सम्यक् अनुक्रम में उसके द्वारा विधिपूर्वक संदत्त या उन्मोचित समस्त ऋण या अन्य मांगों की रकम घटाने के पश्चात् उसके पास शेष रहती है ।

लेनदार के अधिकार की व्यावृत्ति—और मृतक की संपदा का कोई भी लेनदार या दावेदार अपना ऋण या दावे की राशि, इस अधिनियम के अधीन [2]*** किसी भी व्यक्ति को संदत्त और उसके पास अनुपयुक्त रह गए धन में से, उसी रीति से और उस परिमाण तक वसूल कर सकेगा मानो पश्चात् कथित ने मृत्तक की संपदा का प्रशासन-पत्र अभिप्राप्त किया था ।

6. सम्यक् प्रशासन के लिए प्रतिभूति—ऐसे किसी बैंक का सचिव [3][या [4][धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन] सशक्त किया गया कोई अधिकारी] इस प्रकार संदत्त धन के सम्यक् प्रशासन के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति से [5][जिसे वह धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन किसी धन का संदाय करता है], किसी प्रतिभूति जैसी वह आवश्यक समझे, ले सकेगा,

और वह उक्त प्रतिभूति का समनुदेशन ऐसे प्रशासन में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति को कर सकेगा ।

7. शपथ दिलाने की शक्ति—यथापूर्वोक्त हक का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी बैंक का सचिव या [3][या [4][धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन] सशक्त किया गया कोई अधिकारी] तत्समय प्रवृत्त शपथ लेने और प्रतिज्ञान करने से संबद्ध विधि [6] के अनुसार, शपथ या प्रतिज्ञान पर साक्ष्य ले सकेगा ।

मिथ्या कथन के लिए शास्ति—जो कोई व्यक्ति ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान पर कोई ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अधीन अपराध का दोषी समझा जाएगा ।

8. न्यायालय फीस की संगणना करने में जमाराशि का अपवर्जन कब किया जाएगा—जहां मृत जमाकर्ता की संपदा से संबद्ध जमा की रकम [7][तीन हजार रुपए] से अधिक न हो, वहां ऐसी रकम उसकी सम्पत्ति[8] के बारे में अनुदत्त प्रोबेट, या प्रशासन-पत्र, या प्रमाणपत्र (यदि कोई हो) पर, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन प्रभार्य फीस की संगणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी :

परन्तु ऐसे प्रोबेट या पत्र या प्रमाणपत्र का दावा करने वाला व्यक्ति उसको अनुदत्त करने के लिए प्राधिकृत न्यायालय को किसी सरकारी बचत बैंक में मृतक की संपदा से सम्बद्ध जमा की रकम का प्रमाणपत्र प्रदर्शित करेगा । ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे बैंक के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय उसको उक्त रकम के साक्ष्य के रूप में लेगा ।

9. [**यूरोपीय सैनिकों और भगोड़ों की सम्पदा की जमा राशि को अधिनियम लागू नहीं होगा ।**]—सरकारी बचत बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 45) की धारा 7 द्वारा निरसित ।

अवयस्कों से सम्बद्ध जमाराशियां

10. अवयस्क या संरक्षक को जमाराशियों का संदाय—किसी अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से किए गए जमा का और उस पर प्रोद्भूत ब्याज का संदाय, यदि अवयस्क ने जमा किया हो तो स्वयं उसको या यदि जमा अवयस्क से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो तो उसके उपयोग के लिए उसके संरक्षक को, किया जा सकेगा ।

इस धारा के अधीन किसी अवयस्क या संरक्षक को संदत्त धन के लिए उसके द्वारा दी गई रसीद उसका पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

11. [**इसके पूर्व किए गए वैसे ही संदाय का विधिमान्यकरण ।**]—सरकारी बचत बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 45) की धारा 7 द्वारा निरसित ।

पागलों से सम्बद्ध जमाराशियां

12. पागलों से सम्बद्ध जमाराशियों का संदाय—यदि कोई जमाकर्ता उन्मत्त या अपने कामकाज का प्रबंध करने में अन्यथा असमर्थ हो जाता है,

---

[1] 1959 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा "ऐसे संदाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] "या 1855 के उक्त अधिनियम सं० 26" शब्दों में से "उक्त" शब्द का 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा और शेष शब्दों का 1959 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 1923 के अधिनियम सं० 16 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[4] 1959 के अधिनियम सं० 45 की धारा 5 द्वारा "धारा 4 के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1959 के अधिनियम सं० 45 की धारा 5 द्वारा "धारा 4 के अधीन जिसे वह किसी धन संदाय करता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] देखिए भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 (1873 10) ।

[7] 1917 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा " एक हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] देखिए सेविंग्स बैंक ऐक्ट, 1828 (9 जार्ज 4 सी० 92) की धारा 40 अब बचत बैंक अधिनियम, 1863 (26 और 27 विक्टोरिया, सी० 87) द्वारा निरसित ।

और यदि ऐसी उन्मत्तता या अमसमर्थता उस बैंक के, जिसमें उसकी जमाराशि है, सचिव को समाधानप्रद रूप में साबित हो जाती है,

तो ऐसा सचिव समय-समय पर किसी समुचित व्यक्ति को जमाराशि में से संदाय कर सकेगा,

और इस धारा के अधीन संदत्त धन के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई रसीद उसका पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

जहां जमाकर्ता की संपदा के लिए समिति या प्रबंध की नियुक्ति सम्यक् रूप से की गई हो, वहां इस धारा की कोई भी बात ऐसी समिति या प्रबन्धक से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय के लिए प्राधिकृत नहीं करती है ।

विवाहित स्त्रियों द्वारा किए गए जमा

13. विवाहित स्त्रियों की जमाराशियों का संदाय—विवाहित स्त्री द्वारा द्वारा या उसकी ओर से, अथवा उस स्त्री द्वारा जो तत्पश्चात् विवाह करती है या उसकी ओर से, किए गए किसी जमा का संदाय उसको किया जा सकेगा भले ही [1][भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 20] उसके विवाह को लागू होती हो या नहीं, और इस धारा के अधीन उसको संदत्त धन के लिए उसके द्वारा दी गई रसीद उसका पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

[2][प्रकीर्ण

14. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में सचिव या सरकार के किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

15. नियम बनाने के शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वे व्यक्ति जिनके द्वारा तथा वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए सरकारी बचत बैंक में जमा किए जा सकेंगे;

(ख) जमाराशियों की अधिकतम सीमा तथा साधारणतया जमाराशियों, या विशिष्टतया जमाराशियों के किसी वर्ग से सम्बद्ध ब्याज या छूट के बारे में शर्तें;

(ग) जमाराशियों पर ब्याज का तब प्रोद्भूत न होना जब वे अधिकतम सीमा से बढ़ जाएं और अधिक दिए गए ब्याज की, उसी रीति से जैसे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है या किसी अन्य रीति से, वसूली;

(घ) वे व्यक्ति जिनको और वह रीति जिससे जमाराशियों का संदाय किया जा सकेगा;

(ङ) नामनिर्देशनों का प्ररूप, वह रीति जिससे, वे व्यक्ति जिनके पक्ष में तथा वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुए नामनिर्देशन किए जा सकेंगे और नामनिर्देशनों का रजिस्ट्रीकरण;

(च) नामनिर्देशनों में फेरफार या उनका रद्दकरण;

(छ) वे फीस जो नामनिर्देशनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उसमें फेरफार या उसके रद्दकरण के लिए उद्गृहीत की जा सकेंगी;

(ज) वह रीति जिससे कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ;

[3][(झ) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन सीमा ।]

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । [4][यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल नहीं पड़ेगा ।]

———

[1] 1959 के अधिनियम सं० 45 की धारा 8 द्वारा "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 की धारा 4" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1959 के अधिनियम सं० 45 की धारा 9 द्वारा शीर्षक "नियम" और धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1985 के अधिनियम सं० 56 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) प्रतिस्थापित ।